संख्या-811/2017/1957/22-2-2017-17(55)/2008

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 11 अक्टूबर, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवदयाल पुत्र श्री उदयी, निवासी जनपद-झांसी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-28862/प्रोबे0-5-दया0/993, दिनांक 10.08.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 10.08.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवदयाल पुत्र श्री उदयी, निवासी ग्राम खरवांच, थाना ककरबई, जनपद-झांसी का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पूर्व में चल रही रंजिश को लेकर दिनांक 19.11.1988 को 02 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर बन्दूक, भाला एवं कुल्हाडी से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-44/1989 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 302/149 148 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, झांसी के आदेश दिनांक 07.08.1992 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.03.2004 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी का अन्य वाद सं0-1334/11, धारा-448, 323, 504, 506 भा0द0वि0 व डी.पी.एक्ट मा0 न्या0, जे0एम0, गरौठा, झांसी के समक्ष विचारण हेतु लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 03.01.2017 तक 16 वर्ष 01 माह 19 दिन की अपरिहार एवं 20 वर्ष 03 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी शिवदयाल (बन्दी संख्या-14226) पुत्र श्री उदयी, निवासी-जनपद-झांसी की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-811/2017/1957/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, झांसी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in